तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा
डालाल बनाम चन्द्रा/ओ/ना/का०
किस्म- वाद न० - 4/13

15-3-18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी नियत तारीख पर उपस्थित। वकील प्रति० अनु०। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दि० 26-4-18 को पेश हो।

03.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बरण में पैश हुई । उभयपक्ष पक्षकारान नियत शिविर के दौरान हाजिर नही। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा की और से पैरोकार उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण कराने विभाजन आराजीयात प्रस्तुत हुआ है। पत्रावली वर्तमान में बहस अन्तिम चरण हेतु नियत है। पत्रावली में राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा से मार्फत रिपोर्ट पटवारी हल्का तैयार करवायी जाकर शिविर के दौरान ही प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजीयात संख्या 1169 रकबा 01–16 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन होकर नामान्तरकरण संख्या 1408 दिनांक 25.03.2018 से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। तथा इसके पश्चात वादी के द्वारा विभाजन होने के पश्चात अपने हक हिस्से में आयी 00–19 बिस्वा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति रेखादेवी पत्नि अशोक कुमार खटीक निवासी पंचमुखी रोड ज्ञान मन्दिर स्कुल के पास दादा बाडी भीलवाडा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बैचान कर दिया गया था। इस प्रकार विवादित आराजीयात में वादी का हक हिस्सा वर्तमान में निहित नही है। उपरोक्त तथ्यो से वादी पक्ष ने भी अब तक न्यायालय को अवगत नही कराया गया है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। चूंकि विवादित आराजीयात का विभाजन पूर्व में ही किया जा चुका होकर वादी के हक में आया रकबा उनके द्वारा किसी अन्य को बैचान कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस वादपत्र को आगे विधिवत चलाया जाना सम्भव नही है। अतः वादी का वादपत्र, कोई वाद हेतुक शेष नही रह जाने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।